

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुझुनु
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2023/358
मुकदमा नम्बर 93/2023

दर्ज दिनांक-24.08.2023

गोकुलचन्द पुत्र गीगाराम जाति माली निवासी भगवानपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुझुनु

बनाम

1. मन्दिर मूर्ति श्री ठाकूर जी दाके ग्राम लोहागढ शाश्वत नाबालिग जरिये कन्वीनर तहसीलदार नवलगढ
2. ओमप्रकाश पुत्र गीगाराम
3. गोरधन पुत्र गीगाराम
4. शंकरलाल पुत्र गीगाराम
5. सीताराम पुत्र गीगाराम
6. चुन्ना पुत्र मुन्ना
7. झावर पुत्र कालू
8. भागोती पुत्री कालू
9. मूली देवी पुत्री सावल
10. बदीप्रसाद पुत्र सावल
11. गोकुलचन्द पुत्र सावल
12. केशर पुत्र सावल
13. संतोष पुत्री सावल
14. प्रेम पुत्री सावल
15. कानी पुत्री सावल
16. मोना पुत्री सावल
17. अण्डी पत्नी गीला
18. मूलाराम पुत्र गीला
19. हीराराम पुत्री गीला
20. मल्हाराम पुत्र गीला
21. संतरा पुत्री गीला
22. बिमला पुत्री गीला
23. मीरा पत्नी गौरुराम
24. प्रकाश चन्द पुत्र गौरुराम
25. महेश पुत्र गौरुराम
26. सोहनलाल पुत्र गौरुराम
27. शिम्भुराम पुत्र गौरुराम
28. संतोष पुत्री गौरुराम समस्त जाति माली निवासीगण भगवानपुरा तहसील नवलगढ जिला झुझुनु
29. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुनु

वकील आवेदक : - श्री विपल्व पण्डित
अनावेदक सं. 1 व 29 - पैरो. राज
अनावेदक सं. 2 लगा. 10, 12 लगा. 27- एक पक्षीय
अनावेदक सं. 11,28- श्री विजेन्द्र सिंह जाखड

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 07.05.2024


प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1437, 1443 के मध्य की सीमा जिसे फर्द सीमाज्ञान में इ से एफ बिन्दुओं से प्रदर्शित किया गया है पर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश जारी करे।

प्रकरण मे तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 व 29 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई एतराज व्यक्त नहीं किया गया। अनावेदक सं. 2 लगा. 10, 12 लगा. 27 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 11 व 28 की और से वकील श्री विजेन्द्र सिंह जाखड उपस्थित हो कथन किया की यदि आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

बहस प्रा.पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा अपने प्रा0 पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15/06/2023 पत्थरगढी करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया।

वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 11/05/2023 स्वीकार किया जाकर, राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा में स्थित भूमि खसरा नं. 1437, 1443 के मध्य की सीमा जिसे फर्द सीमाज्ञान में इ से एफ बिन्दुओं से प्रदर्शित किया गया है पर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07/05/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला-झुझुनू